

प्रेषक,

डॉ. एस.एस. संधु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त नियंत्रक
प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त
विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव,
समस्त विकास प्राधिकरण।
5. निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सीडा, सिडकुल, देहरादून।
7. विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई,
ग्रामीण निर्माण विभाग।
8. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना,
विकास निगम, उत्तराखण्ड पेयजल
संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, के.
एम.वी.एन., जी.एम.वी.एन.।

श्रम अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 05 जनवरी, 2022

विषय:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत उपकर की प्राप्तियों को बोर्ड निधि में जमा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1355/VIII/16-27(श्रम)/2016 दिनांक 22.12.2016 एवं शासनादेश संख्या 1057/VIII/18-27(श्रम)/2016 दिनांक 09.08.2018 जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्यों से निर्माण लागत का 01 % उपकर राशि की कटौती करते हुए धनराशि को सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चैक/विभागीयपोर्टल uk.labour.gov.in में जाकर Establishment/Registration under B.O.C.W में ऑन लाईन जमा कराये जाने तथा प्राधिकरण जिनके द्वारा निर्माण के मानचित्र पारित किये जाते हैं, को उक्त उपकर सम्बन्धित खाते में जमा करके ही मानचित्र निर्गमन किये जाने संबंधी निर्देश निर्गत किये गये हैं, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपकर संग्रहण की प्रक्रिया एवं समय के संबंध में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 का नियम 4 निम्नवत है:-

Time and manner of collection.— (1) The cess levied under sub-section (1) of section 3 of the Act shall be paid by an employer, within thirty days of completion of the


G.O Box

construction project or within thirty days of the date on which assessment of cess payable is finalised, whichever is earlier, to the cess collector.

(2) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), where the duration of the project or construction work exceeds one year, cess shall be paid within thirty days of completion of one year from the date of commencement of work and every year thereafter at the notified rates on the cost of construction incurred during the relevant period.

(3) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1) and sub-rule (2), where the levy of cess pertains to building and other construction work of a Government or of a Public Sector Undertaking, such Government or the Public Sector Undertaking shall deduct or cause to be deducted the cess payable at the notified rates from the bills paid for such works.

(4) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1) and sub-rule (2), where the approval of a construction work by a local authority is required, every application for such approval shall be accompanied by a crossed demand draft in favour of the Board and payable at the station at which the Board is located for an amount of cess payable at the notified rates on the estimated cost of construction:


Provided that if the duration of the project is likely to exceed one year, the demand draft may be for the amount of cess payable on cost of construction estimated to be incurred during one year from the date of commencement and further payments of cess due shall be made as per the provisions of sub-rule (2).

(5) An employer may pay in advance an amount of cess calculated on the basis of the estimated cost of construction along with the notice of commencement of work under section 46 of the Main Act by a crossed demand draft in favour of the Board and payable at the station at which the Board is located:

Provided that if the duration of the project is likely to exceed one year, the demand draft may be for the amount of cess payable on cost of construction estimated to be incurred during one year from the date of such commencement and further payment of cess due shall be made as per the provisions of sub-rule (2).


(6) Advance cess paid under sub-rules (3), (4) and (5), shall be adjusted in the final assessment made by the Assessing Officer.

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण/मानचित्र स्वीकृत करने वाले स्वीकृता अधिकारी, जहाँ निर्माण या परियोजना कार्य की अवधि 01 वर्ष से अधिक हो, ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रस्तर-2 के अनुसार श्रम उपकर (Labour Cess) की गणना करते हुए उपकर जमा कराने की कार्यवाही कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति/निर्माणकर्ता द्वारा निर्धारित उपकर की धनराशि शतप्रतिशत जमा करवाने के पश्चात् ही उक्त निर्माण के संबंध में पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) निर्गत किया जायेगा।

 G.O. DOR

4. शासनादेश संख्या 1355/VIII/16-27(श्रम)/2016 दिनांक 22.12.2016 एवं शासनादेश संख्या 1057/VIII/18-27(श्रम)/2016 दिनांक 09.08.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
5. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(डॉ.एस.एस.संघु)
मुख्य सचिव।

संख्या:- (1)/VIII-1/22-27(श्रम)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त उपकर निर्धारण अधिकारी तथा उपकर संग्राहक उत्तराखण्ड।
2. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित संस्थाओं/विभागों से समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार प्राप्तियों की सूचना मासिक आधार पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त उपकर निर्धारण अधिकारी तथा उपकर संग्राहक उत्तराखण्ड।
5. राज्य के अन्तर्गत निर्माण कार्य से संबंधित समस्त कार्यदायी संस्था के राज्य प्रमुखों को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

/
(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।